


वाइटल स्टैट्स

छत्तीसगढ़ की चौथी विधानसभा का कामकाज (2014-2018)

छत्तीसगढ़ की पांचवीं विधानसभा के चुनाव दो चरणों में होने वाले हैं: पहला चरण 12 नवंबर, 2018 और दूसरा चरण 20 नवंबर, 2018 को होगा। इस संदर्भ में हम चौथी विधानसभा (जनवरी 2014 से सितंबर 2018) के कामकाज के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं।


चौथी विधानसभा वर्ष में औसत 29 दिन चली, 3 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए गए

एक वर्ष में बैठकों के कुल दिन (2009-2018)




- वर्तमान विधानसभा कुल 145 दिन चली। यह तीसरी विधानसभा (2009-2013) की तुलना में कम है जोकि 159 दिन चली थी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार यह तय करती है कि विधानसभा कितनी अवधि के लिए चलनी चाहिए।
- चौथी विधानसभा में तीन बार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई (2015, 2017 और 2018)। यह चर्चा कुल मिलाकर 57 घंटे चली।
- 2011 और 2016 के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा एक वर्ष में औसत 36 दिन चली। यह 26 राज्य विधानसभाओं में 8वें स्थान पर है। ये सभी विधानसभाएं कुल मिलाकर वर्ष में औसत 28 दिन ही चलीं (2011 से 2016 के बीच)।

बैठकों के औसत दिन (2011-2016)




कुल 145 बैठकों में बजट सत्र की अवधि 98 दिन रही (68%)

बैठकों का ब्रेकअप (2014-2018)



बजट सत्र की अवधि का ब्रेकअप (2014-2018)





Note: The Assembly had three to four sessions every year.

Note: Legend indicates discussion time on each item.

- विधानसभा की कुल 145 बैठकों में बजट सत्र 98 दिन चला (68%)। जबकि प्रत्येक बजट सत्र की औसत अवधि 20 दिन थी, गैर बजट सत्र की अवधि बहुत कम थी (4 दिन)।
- बजट सत्र का राज्य विधानसभाओं में बहुत महत्व होता है। सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है, और फिर उस पर चर्चा होती है। इसके बाद राज्य का वार्षिक बजट और सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगें (डीएफजीज़) पटल पर रखी जाती हैं। इसके बाद उस पर सदन में चर्चा होती है।

- बजट सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा का 57% समय बजट पर चर्चा करते हुए बीता। इसमें से 45% समय विभिन्न मंत्रालयों के व्यय प्रस्तावों (डीएफजीज़) और 12% समय अन्य व्यय एवं कर प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए बीता। राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार-विमर्श में 7% समय बीता।


विधि निर्माण में 5% समय बीता; 104 बिल पास हुए



Note: The 104 Bills passed do not include 20 Appropriation Bills.


- निम्नलिखित क्षेत्रों से जुड़े बिल सबसे अधिक पेश किए गए: (i) वित्त, राजस्व और टैक्सेशन, और (ii) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा।
- 104 बिल में से 95 संशोधन बिल थे। छह प्रिंसिपल बिल थे और तीन बिल मौजूदा एक्ट्स को निरस्त करने वाले थे। अधिकतर संशोधन बिल निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित थे: (i) वित्त एवं टैक्सेशन (19 बिल), और (ii) उच्च शिक्षा (11 बिल)।
- प्रिंसिपल बिल में छत्तीसगढ़ आधार बिल, 2018, छत्तीसगढ़ जीएसटी बिल, 2017, छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना बिल, 2017, छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय बिल, 2015, और छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद बिल, 2015 शामिल हैं।

94% बिल पेश होने के एक हफ्ते के अंदर पारित हो गए; बिल पर चर्चा और उसकी समीक्षा कम हुई



- 15% बिल जिस दिन पेश किए गए, उसी दिन पारित हो गए। इसमें छत्तीसगढ़ जीएसटी बिल, 2017 और छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन एवं विविध प्रावधान बिल, 2017 शामिल हैं।
- 79% बिल पेश होने के एक हफ्ते के अंदर पारित हो गए।
- सिर्फ छह बिल को पारित होने में एक हफ्ते से ज्यादा समय लगा। यह संशोधन बिल कृषि उत्पाद बाजार, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान परिषद, मोटर वाहन कराधान, पंचायती राज और राज्य एफआरबीएम से संबंधित थे।

प्रत्येक सत्र में 10% समय प्रश्न काल में बीता



- मंत्रियों से सदन में तारांकित प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है। हर दिन प्रश्न काल में 25 तारांकित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए चुना जाता है।
- सदन में मंत्रियों ने औसत नौ प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए।

Sources: Session end resume and list of Bills passed for years 2014 to 2018 from Chhattisgarh Legislative Assembly website; PRS.

अस्वीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।